



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082020-221353
CG-DL-E-26082020-221353

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2020/भाद्र 4, 1942

No. 424]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2020/BHADRA 4, 1942

पोत परिवहन मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 530(अ).—केंद्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित, धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुंबई पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा तैयार किए गए, इस अधिसूचना में अनुबंधित अनुसूची में यथा वर्णित, मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 को एतद्वारा अनुमोदित करती है।

2. यथा अनुमोदित उक्त संशोधित विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुंबई पत्तन न्यास का न्यासी मंडल एतद्वारा मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) विनियम, 2010 को आगे संशोधित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः —

1. (1) इन विनियमों को मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम केंद्र सरकार के अनुमोदन से भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएंगे।

2. मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) विनियम, 2010 में अनुसूची-1 में, —

(i) “सामान्य प्रशासन एवं मानव संसाधन विभाग” शीर्षक के अंतर्गत, सचिव के पद से संबंधित कम संख्या 6 के सामने —

(I) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः —

“100000—260000/— रु. (तीन वर्ष की नियमित सेवा के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 120000—280000/—रु. के वेतनमान में बढ़ाया जाएगा)”;

(II) कॉलम 12 में, ‘आमेलन के लिए’ उप-शीर्षक के अंतर्गत, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

“सम्मिलित पद्धति से आमेलन के लिए, किसी महापत्तन न्यास के सामान्य प्रशासन विभाग या मानव संसाधन विभाग या विधि विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित 80000—220000/—रु. के वेतनमान में पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे”;

(II) “वित्त विभाग” शीर्षक के अंतर्गत, आर्थिक सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के पद से संबंधित कम संख्या 47 के सामने —

(i) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः —

“100000—260000/— रु. (तीन वर्ष की नियमित सेवा के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 120000—280000/—रु. के वेतनमान में बढ़ाया जाएगा)”;

(ii) कॉलम 12 में, ‘आमेलन के लिए’ उप-शीर्षक के अंतर्गत, निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

“सम्मिलित पद्धति से आमेलन के लिए, किसी महापत्तन न्यास के वित्त विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित 80000—220000/—रु. के वेतनमान में पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे”;

(III) “मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग” शीर्षक के अंतर्गत, मुख्य मैकेनिकल इंजीनियर के पद से संबंधित कम संख्या 52 के सामने —

(i) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः —

“100000—260000/— रु. (तीन वर्ष की नियमित सेवा के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 120000—280000/—रु. के वेतनमान में बढ़ाया जाएगा)”;

(ii) कॉलम 12 में, ‘आमेलन के लिए’ उप-शीर्षक के अंतर्गत, निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

“सम्मिलित पद्धति से आमेलन के लिए,

(क) दो वर्ष की नियमित सेवा सहित 90000—240000/—रु. के वेतनमान का पद धारित करने वाले अधिकारी;

(ख) किसी महापत्तन न्यास के मैकेनिकल एवं इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं मरीन विभाग (केवल मरीन इंजीनियरों के वर्गों के लिए लागू) में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित 80000—220000/—रु. के वेतनमान का पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे,—

(IV) “यातायात विभाग (रेलवे सहित)” शीर्षक के अंतर्गत, यातायात प्रबंधक के पद से संबंधित कम संख्या 64 के सामने —

(i) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः —

“100000—260000/— रु. (तीन वर्ष की नियमित सेवा के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 120000—280000/—रु. के वेतनमान में बढ़ाया जाएगा)”;

(ii) कॉलम 12 में, ‘आमेलन के लिए’ उप-शीर्षक के अंतर्गत, निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

“सम्मिलित पद्धति से आमेलन के लिए, किसी महापत्तन न्यास के यातायात विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित 80000—220000/—रु. के वेतनमान में पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे”;

- (V) “सिविल इंजीनियरिंग विभाग” शीर्षक के अंतर्गत, मुख्य अभियंता के पद से संबंधित क्रम संख्या 73 के सामने —
- (i) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः —
 “100000—260000 /— रु. (तीन वर्ष की नियमित सेवा के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 120000—280000 /—रु. के वेतनमान में बढ़ाया जाएगा)”;
- (ii) कॉलम 12 में, ‘आमेलन के लिए’ उप-शीर्षक के अंतर्गत, निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—
 “सम्मिलित पद्धति से आमेलन के लिए, किसी महापत्तन न्यास के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित 80000—220000 /—रु. के वेतनमान में पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे”;
- (VI) “चिकित्सा विभाग” शीर्षक के अंतर्गत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्या 82 के सामने —
- (i) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः —
 “100000—260000 /— रु. (तीन वर्ष की नियमित सेवा के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 120000—280000 /—रु. के वेतनमान में बढ़ाया जाएगा)”;
- (ii) कॉलम 12 में, ‘आमेलन के लिए’ उप-शीर्षक के अंतर्गत, निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—
 “सम्मिलित पद्धति से आमेलन के लिए, किसी महापत्तन न्यास के चिकित्सा विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित 80000—220000 /—रु. के वेतनमान में पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे”;
- (VII) “मरीन विभाग” शीर्षक के अंतर्गत, उप संरक्षक के पद से संबंधित क्रम संख्या 96 के सामने—
- (i) कॉलम 5 में, प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः —
 “100000—260000 /— रु. (तीन वर्ष की नियमित सेवा के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन से वेतनमान को 120000—280000 /—रु. के वेतनमान में बढ़ाया जाएगा)”;
- (ii) कॉलम 12 में, ‘आमेलन के लिए’ उप-शीर्षक के अंतर्गत, निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—
 “सम्मिलित पद्धति से आमेलन के लिए,
- (क) एक वर्ष की नियमित सेवा सहित 100000—260000 /—रु. के वेतनमान में हार्बर मास्टर का पद धारित करने वाला अधिकारी; अथवा
- (ख) दो वर्ष की नियमित सेवा सहित 90000—240000 /—रु. के वेतनमान में हार्बर मास्टर का पद धारित करने वाले अधिकारी”

पाद टिप्पणी: मुख्य विनियम, भारत के असाधारण राजपत्र, भाग—II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 387 (ई) के तहत दिनांक 7 मई, 2010 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उन्हें निम्नलिखित संख्याओं के तहत संशोधित किया गया था:—

- (i) सा.का.नि. 309 (अ), दिनांक 21 अप्रैल, 2014;
- (ii) सा.का.नि. 518 (अ), दिनांक 29 जून, 2015;
- (iii) सा.का.नि. 603 (अ), दिनांक 31 जुलाई, 2015;
- (iv) सा.का.नि. 149 (अ), दिनांक 08 फरवरी, 2016;
- (v) सा.का.नि. 156 (अ), दिनांक 10 फरवरी, 2016;
- (vi) सा.का.नि. 648 (अ), दिनांक 01 जुलाई, 2016;
- (vii) सा.का.नि. 1240 (अ), दिनांक 11 अक्टूबर, 2017;

- (viii) सा.का.नि. 1434 (अ), दिनांक 20 नवंबर, 2017;
- (ix) सा.का.नि. 351 (अ), दिनांक 09 अप्रैल, 2018;
- (x) सा.का.नि. 776 (अ), दिनांक 14 अगस्त, 2018; और
- (xi) सा.का.नि. 818 (अ), दिनांक 31 अक्टूबर, 2019.

[फा. सं. पीआर-24021/13/2020 पीई- I]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PHRD Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2020

G.S.R. 530(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2020 made by the Board of Trustees of the Port of Mumbai as set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations as approved shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Mumbai Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Mumbai Port Trust Employees (Recruitment Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force from the date of publication of the approval thereto by the Central Government in the Official Gazette.

2. In the Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010, in the Schedule-I,—

(I) under the heading “General Administration & Human Resources Department”, against serial number 6, relating to the post of Secretary,—

(i) in column 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

“Rs. 100000-260000 (the pay scale will be elevated to the scale of pay of Rs.120000-280000/- after three years regular service with the approval of Central Government”;

(ii) in column 12, under the sub heading ‘For absorption’, the following shall be substituted, namely:—

“For absorption through composite method, officers holding posts in the scale of pay of Rs. 80000-220000/- with three years regular service in the General Administration or Human Resource Department or Legal Department of a Major Port Trust shall be eligible.”;

(II) under the heading “Finance Department”, against serial number 47, relating to the post of Financial Adviser & Chief Accounts Officer,-

(i) in column 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

“Rs. 100000-260000/- (the pay scale will be elevated to the scale of pay of Rs.120000-280000/- after three years regular service with the approval of Central Government)”;

(ii) in column 12, under the sub-heading ‘For absorption’, the following entries shall be substituted, namely:—

“For absorption through composite method, Officers holding posts in the scale of pay of Rs.80000-220000/- with three years regular service in the Finance Department of a Major Port Trust shall be eligible.”;

(III) under the heading “Mechanical Engineering Department”, against serial number 52, relating to the post of Chief Mechanical Engineer,—

(i) in column 5, for the entries the following entries shall be substituted, namely:—

“Rs. 100000-260000/- (the pay scale will be elevated to the scale of pay of Rs.120000-280000/- after three years regular service with the approval of Central Government)”;

(ii) in column 12, under the sub-heading ‘For absorption’, the following entries shall be substituted, namely:—

“For absorption through composted method,

(a) Officers holding posts in the scale of pay of Rs.90000-240000/- with two years regular service;

or

(b) Officers holding posts in the scale of pay of Rs.80000-220000/- with three years regular service in the Mechanical and Electrical Engineering and Marine Department (applicable to categories of marine engineers only) of a Major Port Trust shall be eligible.”;

(IV) under the heading “Traffic Department (including Railway)”, against serial number 64, relating to the post of Traffic Manager,—

(i) in column 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

“Rs. 100000-260000/- the pay scale will be elevated to the scale of pay of Rs.120000-280000/- after three years regular service with the approval of Central Government.”;

(ii) in column 12, under the sub-heading ‘For absorption’, the following entries shall be substituted, namely:—

“For absorption through composted method, Officers holding posts in the scale of pay of Rs.80000-220000/- with three years regular service in the Traffic Department of a Major Port Trust shall be eligible.”

(V) under the heading “Civil Engineering Department”, against serial number 73, relating to the post of Chief Engineer,—

(i) in column 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

“Rs. 100000-260000/- (the pay scale will be elevated to the scale of pay of Rs.120000-280000/- after three years regular service with the approval of Central Government)”;

(ii) in column 12, under the sub-heading ‘For absorption’, the following entries shall be substituted, namely:—

“For absorption through composted method, Officers holding posts in the scale of pay of Rs.80000-220000/- with three years regular service in the Civil Engineering Department of a Major Port Trust shall be eligible.”;

(VI) under the heading “Medical Department”, against serial number 82, relating to the post of Chief Medical Officer,—

(i) in column 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

“Rs. 100000-260000 (the pay scale will be elevated to the scale of pay of Rs.120000-280000/- after three years regular service with the approval of Central Government)”;

(ii) in column 12, under the sub-heading ‘For absorption’, the following entries shall be substituted, namely:—

“For absorption through composted method, Officers holding posts in the scale of pay of Rs.80000-220000/- with three years regular service in the Medical Department in a Major Port Trust shall be eligible.”

(VII) under the heading “Marine Department”, against serial number 96, relating to the post of Deputy Conservator,—

(i) in column 5, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

“Rs. 100000-260000/- (the pay scale will be elevated to the scale of pay of Rs.12000-28000/- after three years regular service with the approval of Central Government)”;

(ii) in column 12, under the sub-heading ‘For absorption’. the following entries shall be substituted, namely:—

“For absorption through composite method:

(a) Officer holding posts of harbour master in the scale of pay of Rs.100000-260000/- with one year regular service;

or

(b) Officers holding posts of harbour master with scale of pay of Rs. 90000-240000/- with two years regular service”.

footnote: The principal regulations was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 387(E), dated the 7th May, 2010 and were subsequently amended *vide* numbers—

- (i) G.S.R. 309(E), dated the 21st April 2014;
- (ii) G.S.R. 518(E), dated the 29th June, 2015;
- (iii) G.S.R. 603(E), dated the 31st July, 2015;
- (iv) G.S.R. 149(E), dated the 08th February, 2016;
- (v) G.S.R. 156(E), dated the 10th February, 2016;
- (vi) G.S.R. 648(E), dated the 01st July, 2016;
- (vii) G.S.R. 1240(E), dated the 11th October, 2017;
- (viii) G.S.R. 1434(E), dated the 20th November, 2017;
- (ix) G.S.R. 351(E), dated the 09th April, 2018;
- (x) G.S.R. 776(E), dated the 14th August, 2018;&
- (xi) G.S.R. 818(E), dated the 31st October, 2019.

[F. No. PR-24021/13/2020 PE-I]

VIKRAM SINGH, Jt.Secy.